# संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
## मध्यप्रदेश

क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2015/786 भोपाल, दिनांक 21-08-15

**आदेश**

संचालनालय स्तर पर दिनांक 03.07.15 को आयोजित राज्य स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर परिभ्रमण में रहे समाज शास्त्र विषय लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण प्रदेश में कार्यरत निम्नलिखित बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक महिला/पुरूष को खण्ड विस्तार प्रशिक्षक के पद पर वेतनमान रूपये (5200–20200 + ग्रेड पे 2800) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर अस्थाई तौर से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है:–

| क्र | वरि. क्र. | नाम | प्रवर्ग | वर्तमान पदस्थापना स्थल का जिला | नवीन पदस्थापना स्थल विकास खण्ड–जिला अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 253 | श्रीमती एस. पन्डोरिया | अ.जा. | बालाघाट | केसली–सागर |
| 02 | 295 | श्रीमती शकुन्तला साबले | अना. | बैतूल | बनखेड़ी– होशंगाबाद |
| 03 | 530 | श्रीमती नीलम थौराट | अना | मुरैना | कैलारस–मुरैना |
| 04 | 539 | श्रीमती वीणा चतुर्वेदी (पाठक) | अना | छतरपुर | नौगांव –छतरपुर |
| 05 | 609 | श्रीमती अर्चना मेहता | अ.जा. | बड़वानी | सिलावद–बड़वानी |
| 06 | 680 | श्रीमती पद्मा डोंगरे | अ.जा. | बालाघाट | मालथौन–सागर |
| 07 | – | श्रीमती दुर्गावती मेश्राम | अ.जा. | बालाघाट | राहतगढ़–सागर |
| 08 | 684 | कु. किरण जाधव | अ.जा. | बड़वानी | निवाली–बड़वानी |
| 09 | 697 | श्री सेवकराम मुजाल्दे | अ.ज.जा. | बड़वानी | पानसेमल–बड़वानी |
| 10 | 710 | श्री रामनरेश चर्मकार | अ.जा. | सिंगरौली | त्योंथर –रीवा |
| 11 | 803 | श्री मुनवेश्वर गोरबर्डे | अ.ज.जा. | बैतूल | पीपलखेड़ा–विदिशा |
| 12 | 806 | श्री लच्छू सिंह कवडे | अ.ज.जा. | बैतूल | खालवा–खण्डवा |
| 13 | 813 | श्री गंगाराम धुर्वे | अ.ज.जा. | बैतूल | पिपरिया–होशंगाबाद |
| 14 | 833 | श्रीमती सुहागा झारिया | अ.जा. | मंडला | बीजाडांडी–मण्डला |
| 15 | 841 | श्री बलेश्वर साय | अ.ज.जा. | कटनी | बहोरीबंद–कटनी |
| 16 | 855 | श्री संजय जाट | अ.जा. | जबलपुर | मंझौली–जबलपुर |
| 17 | 861 | श्री अश्वनी जोजफ | अ.ज.जा. | होशंगाबाद | सिवनी–मालवा, होशंगाबाद |
| 18 | 863 | श्री हुकुम सिंह ठाकुर | अ.जा. | नरसिंहपुर | चावरपाठा–नरसिंहपुर |
| 19 | 895 | श्रीमती सुशीला सोंधिया | अ.पि.व. | सीहोर | बासौदा–विदिशा |
| 20 | 904 | श्री महेश चंद्र परमार | अ.जा. | उज्जैन | घटिया–उज्जैन |
| 21 | 905 | श्री गजेन्द सिह ठाकुर | अ.ज.जा. | उज्जैन | महिदपुर–उज्जैन |
| 22 | 910 | श्री एस.पी.डोंगरे | अ.जा. | मंडला | निवास– मण्डला |
| 23 | 915 | श्री राजेश कुमार सिंह | अ.ज.जा. | कटनी | ढ़ीमरखेड़ा–कटनी |
| 24 | 926 | श्रीमती आर. चौरदिया | अना. | बालाघाट | खुरई–सागर |
| 25 | 927 | श्रीमती पी. दुबे | अना. | बालाघाट | देवरी–सागर |

कृ.पृ.उ.

21.08.2015

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 932 | श्री अमर सिह मरावी | अ.ज.जा. | कटनी | मेंहदवानी–डिण्डोरी |
| 27 | 935 | श्रीमती हेमलता वाणी | अ.जा. | जबलपुर | सांईखेड़ा–नरसिंहपुर |
| 28 | 936 | श्रीमती सरोज श्रीवास्तव | अना. | जबलपुर | करेली–नरसिंहपुर |
| 29 | 949 | श्री घनश्याम जांगडे | अ.जा. | मंदसौर | गरोठ–मंदसौर |
| 30 | 967 | श्रीमती किरण कनेरिया | अना. | बड़वानी | पाटी–बड़वानी |
| 31 | 970 | श्रीमती लता हरिनखेड़े | अ.पि.व. | खंडवा | पंघाना–खंडवा |
| 32 | 974 | सुश्री राधा यादव | अ.पि.व. | बड़वानी | राजपुर–बड़वानी |
| 33 | 983 | श्री सतेन्द्र मर्सकोले | अ.ज.जा. | कटनी | धमना–नरसिंहपुर |
| 34 | 1008 | श्री रघुवीर सिंह भील | अ.ज.जा. | गुना | राधौगढ़–गुना |
| 35 | 1027 | श्री रजनीश सिंह | अ.ज.जा. | दमोह | पथरिया–दमोह |
| 36 | 1029 | श्री प्रमोद कुमार कोरी | अ.जा. | दमोह | पटेरा–दमोह |
| 37 | 1030 | श्रीमती ऊमा यादव | अ.पि.व. | खरगोन | भीकनगांव–खरगौन |
| 38 | 1056 | श्री शैलेन्द्र सिंह | अ.ज.जा. | दमोह | हिण्डोरिया–दमोह |
| 39 | 1081 | श्रीमती सूरज दवाने | अ.जा. | इंदौर | देपालपुर–इंदौर |
| 40 | 1085 | श्री जगदीश बाथम | अ.पि.व. | मुरैना | नूराबाद–मुरैना |
| 41 | 1087 | श्रीमती रेवती व्यास | अना. | जबलपुर | बावई चीचली–नरसिंहपुर |
| 42 | 1100 | श्रीमती ललिता ठाकुर | अ.ज.जा. | छिंदवाड़ा | अमरवाड़ा–छिंदवाड़ा |
| 43 | 1128 | श्रीमती नर्मदा पाठक (खण्डालकर) | अना. | छिंदवाड़ा | बिछुआ–छिंदवाड़ा |
| 44 | 1157 | श्री प्रीतम सिंह गौड़ | अ.ज.जा. | मंदसौर | गोटेगांव–नरसिंहपुर |
| 45 | 1168 | श्री सुखदेव रावत | अ.ज.जा. | देवास | बड़नगर–उज्जैन |
| 46 | 1197 | श्रीमती किरण पटेल | अना. | उमरिया | ब्यौहारी–शहड़ोल |

1. मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशो का पालन किया गया है।

2. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरूद्ध यदि विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लंबित है,अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजें।

3. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

4. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा।

5. पदोन्नत कर्मचारियों के जाति एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों एवं मूल अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी जहां उन्हें पदस्थ किया गया है, उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी। प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही उन्हें पदोन्नत पद पर कार्य ग्रहण करावें। यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है, तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित न कराते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजें।

21.08.2015

निरंतर.......3

6. पदोन्नत खण्ड़ विस्तार प्रशिक्षकों को वरिष्ठता का लाभ दिनांक 29.05.2015 से तथा वित्तीय लाभ कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से देय होगा, जिससे इनकी वरिष्ठता प्रभावित न हों।

7. जिन महिला पर्यवेक्षकों की पदोन्नति खण्ड विस्तार प्रशिक्षक के पद पर हुई है, उनसे कार्यभार कराये जाने के पूर्व लिखित में सहमति प्राप्त कर ली जाये कि वे राज्य शासन के भर्ती/पदोन्नति नियमानुसार 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु में सेवा निवृत्त किये जाने पर सहमत हैं।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

21.08.2015

**उप संचालक (परिवार कल्याण)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्य प्रदेश**

**पृ0क्रमांक/03/प.क./स्थापना/2015/** 787 **भोपाल, दिनांक** 21-08-2015

**प्रतिलिपिः—**

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/मिशन संचालक, एनएचएम, स्वास्थ्य संचालनालय, भोपाल।
3. अपर संचालक, अविज्ञप्त/एम.आई.एस., स्थानीय कार्यालय, भोपाल।
4. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संबंधित कर्मचारियों की ओर पालनार्थ।

21.08.2015

**उप संचालक (परिवार कल्याण)**
**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**
**मध्य प्रदेश**